न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–393/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00294)

1. चन्द्रगोपाल पुत्र स्व0 श्री किशन
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री किशन
   दोनों जाति सांसी, निवासी ग्राम सावर, तहसील केकडी जिला अजमेर। हाल निवास म0न0 1815/19 भगवानगंज, सांसी बस्ती अजमेर तहसील एवं जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. निजामुद्दीन पुत्र जमालशाह
2. अकबर अली पुत्र जमालशाह
3. सकूरन बेवा ईकरामूद्दीनशाह (फौत नाम तर्क दिनांक 29.08.2022)
4. अहमदनूर पुत्र इकरामुद्दीन
5. मौहम्मद हनीफ पुत्र इकरामुद्दीन
6. मौहम्मद हफीज पुत्र इकरामुद्दीन
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सावर तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. श्रीमती किशन्ती पत्नी बक्शाराम
8. भंवरलाल पुत्र बक्साराम (मृतक) जरिए वारिसानः–
   8/1 माईकल पुत्र भंवरलाल
   8/2 भारती पुत्री भंवरलाल
   8/3 विजयलक्ष्मी पुत्री भंवरलाल
9. रमेश पुत्र बक्शाराम
10. राजेश पुत्र बक्साराम
11. श्रीमती निर्मला पुत्री बक्साराम
    समस्त जाति सांसी, निवासी ग्राम सावर तहसील केकडी, जिला अजमेर।
12. तुलसी पुत्री किशन पत्नी बहादूरसिंह जाति सांसी, निवासी ग्राम सावर, तहसील केकडी, जिला अजमेर। हाल निवासी ग्राम सांसी बस्ती नासीरदा तहसील देवली, जिला टोंक।
13. ललिता पुत्री किशन पत्नीसंतोष कुमार जाति सांसी, निवासी ग्राम सावर, तहसील केकडी, जिला अजमेर। हाल निवासी रेगर बस्ती तहनालगेट शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा।
14. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर, तहसील केकडी, जिला अजमेर जरिए प्राधानाचार्य।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 राजस्व वाद संख्या 251/98.

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रोहित सोनी, बकुल कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 7 से 13 अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–14.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 251/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 एवं श्रीमती बतुल ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं अन्य के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पन मनन करते हुए प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 251/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 7 से 13 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2003 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.08.2015 को हल्का पटवारी से नया रिकॉर्ड की जानकारी बाबत सम्पर्क किया, तो उन्होंने बताया की उक्त निर्णय व डिक्री आपके विरुद्ध हो चुकी तब प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक दिनांक 20.08.2015 को आवेदन किया, जो अभिभाषक द्वारा नकल दिनांक 21.08.2015 प्राप्त कर तब प्रार्थीगण ने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो अभिभाषक ने उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2003 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील करने की कानूनी सलाह सलाह प्रदान की तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर फीस की व्यवस्था कर बिना अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। जिसे पेश करने में हुई उपरोक्त सदभाविक देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय

सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए—यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का बिना अवलोकन किए, बिना कोई ऐसी फाईण्डिग दिये अर्थात् कोई निर्णय में विश्लेषण किये बिना ही एकतरफा निर्णय पारित किया, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा निर्णय पारित करने से वाद में प्रतिवादी संख्या 11 जो अपीलांट के पिता श्री किशन की परोपर तामिल किये बिना व आदेश 5 जा. दी. के नियमों की विधिवत पालना किये बिना ही. तथा आदेश 5 के नियमों कि किस तरह पालना की हो जिस बाबत बिना कोई ऐसी फाईण्डिन दिये अर्थात् कोई निर्णय में विश्लेषण किये बिना ही एकतरफा निर्णय पारित किया, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2003 से पूर्व प्रतिवादी संख्या 11 श्रीकिशन पुत्र धोकल की मृत्यु दिनांक 15.01.2003 हो चुकी थी, जो पारित निर्णय एवं डिक्री मृतक के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को वाद में लिप्त आराजी का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के उपरांन्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई क्योंकि खसरा संख्या 1582,1583,1587 प्रतिवादी संख्या 14 के नाम दर्ज आराजी के बाबत सार्वजनिक हित की भूमि के बाबत मुर्तिब भवन एवं खेल मैदान की भूमि का गैर कानूनी रूप से खातेदार घोषित कर लाभांवित करने के इरादे से निर्णय में असबंधित तथ्य एवं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने निहित क्षेत्राधिकार का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर, कानूनी मस्तिष्क को प्रयोग किए बिना रेस्पोडेंट को गैर कानूनी रूप से लाभांवित करने की ईच्छा एवं भारी मन्तव्य से पूर्णतया अवैधानिक क्षेत्राधिकार विहिन एवं गैर कानूनी निर्णय व डिक्री पारित किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1589 रकबा 11—10—00 पर अपीलांट के पिता व पूर्वज खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे तत्पश्चयात अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है, जो वादीगण/रेस्पोडेंट के वादग्रस्त आराजी पर भूमि पर निहित हक पर धारा 63 राज. काश्त. अधि. 1955 के तहत अवसान हो चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए बिना ही किस आधार के अपीलांट को हेरान—परेशान व वादीगण/रेस्पोडेन्ट को अवांछित रूप से लाभांवित करने से समस्त कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वविवेक को बिना मध्यनजर रखे ही न्याय की मंशा के विरुद्ध जाकर निर्णय पारित किया है। बेदखली का वाद की मियाद मात्र 12 वर्ष निर्धारित है, जबकि स्वयं वादीगण के पूर्वजों एवं वादीगण द्वारा आज दिनांक तक अर्थात वाद भी संधारण योग्य नहीं था, जो वाद पत्र मियाद बहार होकर प्रथत दृष्टया निरस्त योग्य था, जो इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया, जो काबिल निरस्त योग्य है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा निर्णय एवं डिक्री 23.09. 2003 को भी 12 वर्ष लगभग पूर्ण होने जो उक्त निर्णय व डिक्री शुन्य प्रभावी हो चुकी है। अपीलांट जाति से सांसी होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी खातेदारी की भूमि पर अनुसूचित जाति के अन्येधा व्यक्ति को कतई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, फिर भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 42 राजस्थान कास्तकारी अधि. 1955

की घोर अवमानना कारित की है, जो बिना दस्तावेज का अवलोकन किए ही तथा प्रकरण की प्रकृति को मध्यनजर रखे बिना व प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होने के उपरान्त ही गैरकानुनी रूप से विधि की मंशा व अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से साबित है कि वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त आराजी जो वाद में लिप्त है, जिसका किस्म परिर्वतन हो चूका है, जो कृषि आराजीयात नहीं होकर अकृषि भूमि हो चुकी है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं था। जो वादग्रस्त भाग पर व्यवसायिक दुकाने एवं दुकानों के पास पैट्रोल पम्प भी मुर्तिब है, जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा बिना किसी आधार के निर्णय पारित किया गया। जबकि वाद पत्र में लिप्त आराजी में अपीलांट के पूर्वजों को आंवटित आराजी है, जिसके खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चूके हैं जो राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 (12) के प्रावधानों के विपरित होकर प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा स्कूल के नाम दर्ज भूमि यथा खसरा संख्या 1582 1583 एवं 1587 को छोडकर शेष समस्त आराजीयात बाबत वाद डिक्री कर दिया, जबकि स्वयं परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदारान को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया, जिससे वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र ही प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6 लगायत 10 के विरुद्ध कार्यवाही से नाम विलोपित किया गया, जबकि वाद पूर्ण रूप से स्कूल के हित तक छोडकर डिक्री किया गया, इस लिए माननीय न्यायालय के समक्ष विलोपित व अन्य प्रतिवादीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है, जो निर्णय व डिक्री ही विरोधाभाषी होने से पक्षकार नहीं मुर्तिब किया जा रहा है, क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में माननीय न्यायालय उचित समझे तो अपीलांट अन्य प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाने के हक व अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 251/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में आरआरडी 1994, आरआरडी 1989 पेज 45, आरआरडी 1984 पेज 504, आरआरडी 1984 पेज 506, आरआरडी 1992 पेज 534, आरआरडी 1984 पेज 209, आरआरटी 2006(1) पेज 260 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि ग्राम सावर तहसील केकडी में वादीगण के पूर्वज श्री जमाल पुत्र अल्लानूर मुसलमान की पुश्तैनी आराजीयात थी। उक्त आराजीयात श्री जमाल की थी तथा श्री जमाल की मृत्यु 1962 में हुई जब खातेदार की पत्नि श्रीमती बतुल के अलावा सभी वादीगण नाबालिग थे तथा वादी 1 के पति की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा स्वामित्व चला आ रहा था। वर्किंग जमाबंदी 2041 में बनी है। उक्त आराजीयात के पास सावर देवली मार्ग राष्ट्रीय राज मार्ग का निर्माण हुआ जब इसकी जानकारी वादीगण को हुई थी कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण ने जबरन अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराली है। वादीगण या उसके पूर्वजों द्वारा न तो भूमि का बैचान किया था तथा बिना आदे"। व हक अधिकार के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की है। प्रतिवादीगण को रेकार्ड में इंद्राज कराने का कोई भी हक अधिकार नहीं होने से घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करके भूमि का कब्जा वादीगण को दिलवाने हेतु यह दावा पे"। किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयां निर्मित कर साक्ष्य ग्रहण किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 23.09.2003 को स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण तनकीवार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित **तनकी संख्या 1 –:** *" आया वादीगण के वादपत्र के पैरा–2 में वर्णित ग्राम सावर की आराजी खसरा नम्बर 1119 वादी के पूर्वजों की तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि होने से वादी खातेदार घोषित होने का हक व रिकार्ड दुरूस्ती का हक रखते हैं। "*

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2024 प्रदर्श–6 का अवलोकन किया गया जिससे उक्त आराजीयात के खाता संख्या 209 के खसरा नम्बर 1119 रकबा 95–05–00, 1119 मि0 रकबा 9–5–0, खसरा नम्बर 1119 मि0 05–00–00, कुल 109–10–00 जमाल वल्द अल्लानूर कौम मुसलमान फकीर साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी क्रम में वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2053 प्रदर्श–पी 7 प्रस्तुत की गई उसके अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि खसरा नम्बर 1119 के अन्य खसरा नम्बर बने हैं जो कि खसरा नम्बर 1578, 1579, 1579 मि0, 1579 मि0, 1579 मि0, 1587, 1586, 1588, 1589, 1590 इसी अनुरूप खाता संख्या 516 भूपेन्द्रसिंह, हेमेन्द्रसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, मु0जसकंवर व खाता संख्या 1129 राजकीय माध्यमिक पाठशाला व खाता संख्या 34 उगमा बजरंग, खाता संख्या 432 नारायण सांसी, खाता संख्या 901 किशन पुत्र धोकल व खाता संख्या 505 श्रीमती हंगामी पत्नी बजरंग लाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–1 में खाता संख्या 516 की विवादित भूमियां भवानीसिंह पिसरान रूपसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों के नाम भी नामांतरकरण जरिए विक्रय/बैचान अनुसार दर्ज है। परंतु इस बाबत संबंधित व्यक्तियों या पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र या दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया ना ही उक्त भूमियां किसी सक्षम न्यायालय आदेश के इन व्यक्तियों के नाम दर्ज हुई ऐसा भी कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है व ना ही इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बता पाए हैं, कि किस आधार पर उक्त भूमियां जमाल वल्द अल्लानूर से उनके नाम 2041 की जमाबंदी में दर्ज हुई। आधारभूत जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी 2041 के खसरा नम्बरों का परिवर्तन होने से मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 12, पी 13 के अनुसार जमाबंदी 2058 खाता नम्बर 1193, पी 14 खाता नम्बर 491, पी 15, खाता नम्बर 1105, पी 16, खाता नम्बर 1296 पी 17, खाता नम्बर 1130 पी 18 खाता नबंर 354 पी 18 में जो इंद्राज किया है इस इंद्राज बाबत भी प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात को गहन अध्ययन किए जाने के पश्चात विधि

संगत रूप से निर्णित किया गया है अतः न्यायालय हाजा उक्त तनकी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

तनकी संख्या 2—: आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व भूमि का कब्जा लेने का हक रखते है।

जमाबंदी संवत 2024 में वर्णित भूमियां खसरा नम्बर 1119 रकबा 109—10—00 वादीगण/रेस्पोडेंट के पूर्वज जमाल पुत्र अल्लानूर के नाम दर्ज होने के पश्चात किस आधार पर वर्किग जमाबंदी संवत 2041 में प्रतिवादीगण/अपीलांट के नाम दर्ज हुई चूंकि प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए है या ना ही किसी सक्षम न्यायालय आदेश के द्वारा उक्त भूमियां उनके नाम दर्ज हुई है प्रतिवादीगण/अपीलांट इस बात का उत्तर देने में असमर्थ रहें हैं कि उक्त भूमियां कब व कैसे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में सही रूप से निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित की गई तनकी संख्या 2 से न्यायालय हाजा सहमत है।

तनकी संख्या 3:— आया वादीगण के पूर्वजों ने विवादित आराजी को दिनांक 18.01.1968 को खसरा नम्बर 1119 में से भूमि श्री हरिमल को दान की गई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 1588 प्रतिवादी 5 के कब्जे स्वामित्व में चली आ रही है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 पर था। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई दानपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दानपत्र के आधार पर जमाबंदी में किए गए इंद्राज के बाबत भी कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व व वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित की गई तनकी उचित है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है।

तनकी संख्या 4:— आया विवादित भूमि खसरा नम्बर 1119 के नवीन नम्बर 1578, 1579 पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्वामित्व होने से दावा चलने योग्य नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था परंतु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ना ही हाजा न्यायालय में किसी प्रकार का कोई समुचित दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात किस आधार पर जमाबंदी संवत 2024 में जमाल पुत्र अल्लानूर के नाम दर्ज होने के पश्चात किस आधार पर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में उनके नाम दर्ज हुई। इस बाबत वह अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में विफल रहे हैं। इस आधार पर उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में सिद्ध होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का विवेचन भी विधिक रूप से किया गया है।

तनकी संख्या 5:— आया प्रतिवादी के जवाब के जवाब के पैरा 19—20 के अनुसार विवादित आराजी श्री भवानीसिंह की खातेदारी में दर्ज थी तथा फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम तथा कब्जे स्वामित्व में चली आने से दावा खारिज योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर ही था, परंतु प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में इस बात का उत्तर देने में असमर्थ रहें है कि उनके नाम विवादित भूमि किस आधार पर दर्ज हुई जरिए विरासत या जरिए विक्रयपत्र। उनके द्वारा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय भी न्याय संगत रूप से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

तनकी संख्या 6:– आया विवादित आराजी बाबत पैरा–21 के अनुसार विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं कराया जाने से दावा खारिज योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परंतु प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को भी इसी आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय भी उचित रूप से किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्कूल के नाम दर्ज भूमि यथा खसरा नम्बर 1582, 1583 व 1587 को छोडकर शेष समस्त आराजीयात बाबत वाद डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1582, 1583 व 1587 बाबत वाद इसलिए डिक्री नहीं किया गया चूंकि उक्त स्थान पर राजकीय स्कूल चल रही है जो कि राजहित, जनहित व छात्रहित का विषय होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय स्कूल के पक्ष में वाद डिक्री किया गया इससे अपीलांट किस प्रकार से प्रभावित हैं या उक्त खसरों पर उनके किस प्रकार से हक निहित हैं, इस बाबत अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे हैं।

अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि उनके पिता किशन की परोपर तामिल किए बिना आदेश पारित किया गया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता को विधिवत रूप से नोटिस तामील हुए है बावजूद सूचना के वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1589 रकबा 11–10–00 पर अपीलांट के पिता व पूर्वज खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे तत्पश्चात अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे हैं, परंतु अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि उक्त आराजीयात उनके पिता के नाम किस आधार पर दर्ज हुई है उनके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है तथा ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील में यह उज्र भी उठाया गया है कि अपीलांट जाति से सांसी होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनकी खातेदारी की भूमि पर अनुसूचित जाति के अन्येथा व्यक्ति को कतई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, परंतु उक्त आराजीयात पूर्व में जमाबंदी संवत 2024 में जमाल पुत्र अल्लानूर के नाम दर्ज थी तथा उसके बाद उनके पिता स्व0 श्री किशन के नाम किस आधार पर दर्ज हुई इस बाबत उनके द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अवमानना किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है चूंकि जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त आराजीयात उनके नाम किस आधार पर दर्ज हुई है।

अपीलांट अपने कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई विधिक, प्रक्रियात्मक या न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 251/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर